

अतिरिक्त पाए गए उनमें से वे केन्द्रीय स्थायी कर्मचारियों के समान ही समझे गये जिन्होंने भारत में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। इनमें से जिनको ट्रांस्फर ब्यूरो ने केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिये नामजद किया उनको खपाने के लिये बहुत अधिक संख्या में पद निर्मित किए गए।

इसी के आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा में उनकी नियुक्ति के लिये भी उनको स्थायी विस्थापित कर्मचारियों के समान ही माना गया।

(ख) यह सूचना अभी तैयार नहीं है।

हिन्दी अनुवादक

४५६. श्री अमर सिंह डामर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी असिस्टेंटों के लिये एक नियमित पदाली (केडर) बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रों (श्री बातार) : केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी अनुवादक और हिन्दी असिस्टेंटों के लिये प्रलग केडर बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

Central Reference Library, Delhi

475 Shrimati Ila Palchoudhuri: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 57, on the 4th December, 1956 and state the progress made so far regarding the establishment of a Central Reference Library in Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimall): Plans

and estimates for the building of the Central Reference Library, to be established in Delhi are still under examination.

Welfare Extension Projects in West Bengal

458. Shrimati Ila Palchoudhuri: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state the number of Welfare Extension Projects allocated to West Bengal by the Central Social Welfare Board for the year 1956-57?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimall): Sixteen.

भगवान बुद्ध

४५९. श्री बाजपेयी : क्या शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भगवान बुद्ध" नामक पुस्तक में से मांसाहार सम्बन्धी अध्याय को निकाल देने या पुस्तक को जप्त कर लेने के सम्बन्ध में सरकार को ३१ मार्च, १९५७ तक कितने अभ्यावेदन और पत्र प्राप्त हुये; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) लगभग ५००।

(ख) साहित्य प्रकाशनी ने, सभी प्रकाशित तथा प्रकाशनाधीन पुस्तकों में तलटीप (फुटनोट) देने का निश्चय किया है। तलटीप की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [बेल्जिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]

साहित्य प्रकाशनी ने यह भी निश्चय किया है कि जिन भाषाओं में यह पुस्तक प्रकाशित होना शुरू नहीं हुई है, उन भाषाओं में यह पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी।